भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1692

गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक)

युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम

1692. श्री उपेन्द्र कुशवाहा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है**;** और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से कितने युवा लाभान्वित हुए हैं और इस पर कितनी राशि व्यय की गई है**,** तत्संबंधी योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

पिछले तीन वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार की चुनिंदा योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

इसके अलावा, बजट आवंटन और व्यय संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 13.03.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1692 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केंद्रीय योजनाओं के तहत रोजगार सृजन/लाभार्थी

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (ऋण खातों की संख्या)	5,37,95,526	6,23,10,598	6,67,77,013
2	प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) (लाभार्थियों की संख्या)	9,88,275	13,31,983	42,38,329
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (अनुमानित सृजित रोजगार की संख्या)	8,25,752	6,81,336	7,12,944
4	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (सृजित मानव दिवसों की संख्या)	36310.21	29561.65	31226.02
5	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	45,612	1,58,130	1,58,096
6	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	14,796	21,110	23,835
7	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (कुशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	63,519	1,20,478	40,923

स्रोत: संबंधित मंत्रालय